फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री सुनील कुमार विजयवर्गीय मु0पो0 रेलमगरा जिला राजसमन्द –**अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द
लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भू–अभिलेख कलैक्ट्रेट राजसमन्द – **प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा– अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या** 42/2021

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 05.10.2021 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी उपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द व लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार भू–अभिलेख कलैक्ट्रेट राजसमन्द से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द व लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार भ–अभिलेख कलैक्ट्रेट राजसमन्द को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा जरिये क्रमांकः प.1( )सू0अ0,05/2021/972–73 दिनांक 28.09.2021 से प्राप्त रिपोर्टानुसार अपीलार्थी का आवेदन पत्र दिनांक 29.07.2021 का सूचना के अधिकार अधिनियम, 05 के तहत इस कार्यालय को दिनांक 02.08.2021 को प्राप्त हुआ हैं। आरटीआई आवेदन से चाही गई सूचना का संबंध कार्यालय के भू अभिलेख अनुभाग से होने के कारण जरिये पत्र क्रमांक : 686–87 दिनांक 20.08.2021 से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित किया गया। प्रभारी अधिकारी भू अभिलेख द्वारा जरिये पत्रांक 1126 दिनांक 11.08.2021 व 1386–88 दिनांक 26.08.2021 से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराई गई। प्रार्थी को जो सूचना उपलब्ध कराई गई उससे प्रार्थी के संतुष्ठ नही होने पर प्रथम अपील इस अनुभाग को प्राप्त हूई। प्राप्त अपील के संबंध में प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख अनुभाग से अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में पुनः आरटीआई आवेदन का अवलोकन कर स्पष्ट व सटीक सूचना के साथ जवाब चाहा गया। इस क्रम में प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख अनुभाग से जरिये पत्रांक 1729 दिनांक 24.09.2021 से बिन्दु सं0 02 व 04 को प्रार्थी को भिजवाते हुए प्रति इस अनुभाग को दी गई। अपीलार्थी के आरटीआई आवेदन दिनांक 29.07.2021 के बिन्दुओं से चाही गई सूचना के संबंध में कार्यालय के भू अभिलेख अनुभाग में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(च) के अनुसार वही सूचना उपलब्ध करायी जा सकती हैं जो पहले से अभिलेखों में उपलब्ध हो, इस कार्यालय के भू–अभिलेख अनुभाग के पास, अभिलेख पर जो सूचना थी वह	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

प्रार्थी/अपीलार्थी को स्पष्ट व सटीक सूचना प्रेषित की जा चुकि हैं।

लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख अनुभाग कलैक्ट्रेट राजसमन्द द्वारा जरिये क्रमांकः प.14( ) रेकार्ड/भू0अ0/21/1729 दिनांक 24.09.2021 से प्राप्त रिपोर्टानुसार इस कार्यालय में उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर वांछित सूचना पत्र क्रमांकः प.14( ) रेकार्ड/ भू0अ0/21/1126 दिनांक 11.08.2021 एवं क्रमांकः प.14( ) रेकार्ड/ भू0अ0/21/1386–88 दिनांक 26.08.2021 से प्रार्थी को उपलब्ध करा दी गयी। बिन्दु सं0 2 के संबंध में प्रार्थी का कथन गलत हैं, प्रार्थी द्वारा जो सूचना चाही गयी थी पत्र आवश्यक प्रवृति का होने से आवक में दर्ज नही कर तत्काल कार्यवाही की गयी। बिन्दु सं0 4 के संबंध में कार्यालय के अभिलेख पर जो उपलब्ध सूचना प्रार्थी को जरिये पत्र क्रमांकः प.14( ) रेकार्ड/ भू0अ0/21/1386–88 दिनांक 26.08.2021 को भिजवा दी गयी हैं।

अपीलार्थी द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि मुझे आरटीआई आवेदन में चाही गई समस्त सूचना उपलब्ध नही करवायी गई हैं। और ना ही उस संबंध में कोई कारण बताया गया हैं। अतः आवेदन में चाही गई सूचना दिलाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करावें।

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द व लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख अनुभाग कलैक्ट्रेट राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख अनुभाग कलैक्ट्रेट राजसमन्द की रिपोर्टानुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना प्रार्थी को उपलब्ध करा दी गयी। लेकिन अपीलार्थी के संतुष्ट नही होने के कारण प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख अनुभाग कलैक्ट्रेट राजसमन्द को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना आपके समक्ष पत्रावली का निरीक्षण करा जो कार्यालय के अभिलेख पर उपलब्ध हो, को अपीलार्थी को नियमानुसार उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें।

अतः उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द तथा लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख अनुभाग कलैक्ट्रेट राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर)राजसमन्द

कार्यालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)